...क एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
(कार्मिक-क-ग्रुप-II)

क्रमांक: प0 2(4)कार्मिक/क-2/91 जयपुर, दिनांक 07 अक्टूबर, 1991.

-: अधिसूचना :-

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, 1979 में और संशोधन करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्

1. (I) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 1991 है।

   (II) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त हुए समझे जावेंगे।

2. राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, 1979 में -

   (I) उक्त नियमों के नियम 6 के उप नियम (1) के उपखण्ड (ग) में प्रयुक्त विद्यमान शब्दों और अंकों "क्रम संख्या 3, 4, और 5" के स्थान पर शब्द और अंक "क्रम संख्या 3 और 4" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

   (II) इन नियमों से संलग्न अनुसूची की क्र0सं0 3 के सामने स्तम्भ 5 में प्रयुक्त शब्द "ड्राइवर" तथा विद्यमान अभिव्यक्ति "ड्राइवर के मामले में 5 वर्ष का अनुभव तथा साथ ही मोटर कलपुर्जों की जानकारी जिसकी जाँच ट्रेड परीक्षण के द्वारा की जावेगी" भी हटा लिये जावेंगे।

   (III) इन नियमों से संलग्न अनुसूची की क्र0सं0 5 के सामने स्तम्भ 3 में प्रयुक्त विद्यमान अभिव्यक्ति "50% पदोन्नति द्वारा तथा 50% सीधी भर्ती द्वारा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "100% सीधी भर्ती द्वारा" प्रतिस्थापित की जावेगी।

   (IV) इन नियमों से संलग्न अनुसूची की क्र0सं0 5 के सामने स्तम्भ 5 में प्रयुक्त विद्यमान अभिव्यक्ति "मैकेनिक-II/फिटर ग्रेड-II तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा के कर्मचारी" हटा ली जावेगी।

   (V) इन नियमों से संलग्न अनुसूची की क्र0सं0 5 के सामने स्तम्भ सं0 6 में आई विद्यमान अभिव्यक्ति "भारी तथा हल्के वाहन (ड्यूटी) चालन लाइसेंस तथा रास्ते में मरम्मत करने तथा वाहन चालन दक्षता की जाँच ट्रेड परीक्षण द्वारा की जावेगी" को हटा ली जावेगी।

राज्यपाल के नाम और आदेश से,

ह0/

(रामलुभाया),
विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक:- प. 2(4) कार्मिक/क-2/71 जयपुर, दिनांक: 27.7.2004

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, 1979 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. - (i) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2004 है ।

(ii) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. अनुसूची का संशोधन. - राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, 1979 से संलग्न अनुसूची में -

"इन नियमों से संलग्न अनुसूची की क्रम संख्या 5 के सामने स्तम्भ सं. 3 में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 10 प्रतिशत हैल्परों/क्लीनरों में से चयन द्वारा" प्रतिस्थापित की जायेगी ।"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(हस्ताक्षर)

(शान्ती कुमार वर्मा)
शासन उप सचिव

13/2004

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–ग्रु--II) विभाग

सं. एफ. 2(4)डीओपी/ए–II/91 दिनांक : 01.07.13

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, 1979 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम (संशोधन) नियम, 2013 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 20 का संशोधन.**– राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, 1979 के नियम 20 के विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु ड्राईवर के पद पर नियुक्ति के मामले में योग्यता सूची, परीक्षा में प्राप्त अंकों और ऐसे अंकों जो, राज्य सरकार, राजकीय उपक्रमों/संगठनों के यान चलाने के अनुभव की अवधि को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, के आधार पर तैयार की जायेगी :

परन्तु यह और कि अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में आयोग, या यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,
(दिनेश कुमार यादव)
संयुक्त शासन सचिव

47/2013